रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1087] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2016/वैशाख 15, 1938
No. 1087] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2016/ VAISAKHA 15 , 1938

indiacode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

का.आ. 1646(अ).-यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 5.11.2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 3011 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग तथा लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग तथा लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा से यह पता चलता है कि :-

i) अभी तक जारी नागा विद्रोह की वजह से तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों में सुरक्षा परिदृश्य खराब बना हुआ है;

ii) एन एस सी एन/के, एन एस सी एन/आई एम, एन एस सी एन/आर तथा एन एस सी एन/एन के नामक नागा भूमिगत गुट जबरन धन वसूली, क्षेत्र आधिपत्य, अन्तर गुटीय शत्रुता जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

iii) दिनांक 27.03.2015 को भारत सरकार के साथ किए गए युद्ध विराम समझौते के एकतरफा निरसन के उपरांत एन एस सी एन (के) ने भारत म्यांमार सीमा पर रणनीतिक तरीके से अपने शिविरों को स्थानान्तरित कर लिया है तथा यह उल्फा/आई के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सुरक्षा बलों को लक्ष्य बना रहा है;

iv) एन एस सी एन/आई एम, एन एस सी एन/आर तथा एन एस सी एन/एन के शत्रु गुटों से अलग होने तथा अपने आधिपत्य क्षेत्र को विस्तारित करने के प्रयासों के अलावा स्थानीय युवाओं की भर्ती, लोगों को डराने तथा जबरन धन वसूली के प्रयासों में लगा हुआ है;

v) उल्फा/आई, जो म्यांमार से काडरों की आवाजाही तथा हथियारों के पारगमन के लिए इस राज्य को अब तक पारगमन कोरिडोर के रूप में प्रयुक्त करता रहा है, वह अरुणाचल-असम सीमा पर कतिपय पॉकेटों में जबरन धन वसूली में लगा हुआ है। रिपोर्टों से इन क्षेत्रों में एन डी एफ बी/एस काडरों की आवाजाही तथा म्यांमार में/से घुसपैठ का पता चलता है;

vi) उपर्युक्त तीन जिलों में दिनांक 15.10.2015 से 31.03.2016 के दौरान भूमिगत संगठनों द्वारा हिंसा की 24 घटनाओं को अंजाम दिया गया जिनमें 3 व्यक्ति मारे गए तथा 24 भूमिगत काडर (एन एस सी एन/आर-11, एन एस सी एन/के-5,

एन एस सी एन/आई एम-4, एन एस सी एन/एन के-3, ए पी डी पी एफ-1) विद्रोह-रोधी अभियानों के दौरान गिरफ्तार किए गए।

अत: अब, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 04.05.2016 के बाद छ: महीने तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

(i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, वालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;
(ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;
(iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;
(iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
(v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
(vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भलूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;
(vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने,
(viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना; और
(ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFARIS

NOTIFICTION

New Delhi, the 4th May, 2016

S.O. 1646(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 3011(E) dated 5.11.2015.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam indicate that:-

i) security scenario in Tirap, Changlang and Longding districts remains vitiated by the spillover of Naga insurgency;
ii) Naga UG factions namely NSCN/K, NSCN/IM, NSCN/R & NSCN/NK continue to indulge in extortion, area domination, inter-factional rivalry;
iii) NSCN (K) has tactically shifted its camps across Indo-Myanmar border after unilateral abrogation of ceasefire agreement with Govt. of India on 27.3.2015, is persisting with its attempts to target Security Forces jointly with ULFA/I;
iv) NSCN/IM, NSCN/R and NSCN/NK are engaged in intimidation and extortion, recruiting local youth, besides engineering defection from rival factions and attempting to expand their area of dominance;
v) ULFA/I, which has hitherto been using the State as a transit corridor for movement of cadres and transhipment of arms from Myanmar, is indulging in extortion in certain pockets along Arunachal- Assam boundary. Reports also indicate movement of NDFB/S cadres in these areas and for infiltrating to/from Myanmar.
vi) In above three districts, 24 incidents of violence have been perpetrated by the UG outfits from 15.10.2015 to 31.3.2016 in which 03 persons have been killed and 24 UG cadres (NSCN/R-11, NSCN/K-5, NSCN/IM-4, NSCN/NK-3, APDPF-1) have been arrested in Counter Insurgency Operations.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for six months beyond 4.05.2016, unless withdrawn earlier: -

i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;
ii) Likabali police station in West Siang district;
iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;
iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

v) Seijosa police station in East Kameng district;
vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;
vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
viii) Sunpura police station in Lohit district; and
ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GRAG, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.